

## कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर एटा

### सामान्य निवास प्रमाण पत्र

क्रमांक : 17410211821

(केवल सेवायोजन/शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ)

दिनांक:

04-Feb-2010

1 एनदब्ल्यूए यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु ० नन्दिनी उपाध्याय

पुत्र/पुत्री/पत्नी अरुण कुमार उपाध्याय

निवासी/ग्राम 157, अरुणा नगर एटा पर ० एटा स्कोट

आना एटा शहर तहसील एटा

जिला एटा

राज्य उत्तर प्रदेश का/की निवासी है।



2 उपर्युक्त की पुष्टि प्राप्त-१ में आवेदन एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य निवासी होने विषयक (Ordinarily Resident) प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।

उपजिलाधिकारी  
सदर एटा

नाटः : उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रबोश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही जारी किया गया है इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई सम्बन्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट 1994 में स्पष्ट रूप से प्राविधिकित है तथा यह भारत सरकार के विचार का विषय है यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नाचिह्न हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रस्तुत होगा। जिसे अन्ततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

सत्यापन के लिए वेबसाइट लॉगिन करें : <http://www.bor.up.nic.in>

फार्म सं

5568